कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन भोपाल–462004

क्रमांक 242/98/आउशि/शाखा–5'अ'/2014 भोपाल, दिनांक: 5/5/2014

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालय,
(अल्पसंख्यक/विधि महाविद्यालयों सहित)
मध्यप्रदेश।

विषय : विभागीय पोर्टल के माध्यम से स्नातक एव स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु शैक्षणिक सत्र 2014–15 में ऑनलाइन प्रवेश विषयक।

–0–

ऑनलाइन प्रवेश 2014–15 में पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी महाविद्यालयों की प्रोफाईल तथा विषय/ विषय–समूह/पाठ्यक्रम, शुल्क इत्यादि की जानकारी उच्च शिक्षा विभाग के पोर्टल www.mphigherecucation.nic.in पर दर्ज की जाना है। सभी महाविद्यालय इस पोर्टल पर निम्न प्रक्रियाएँ दिनांक 06 मई से 15 मई 2014 तक आवश्यक रूप से पूर्ण करेंगें।

1. पोर्टल पर महाविद्यालय को अपने यूजर–आई.डी. तथा पासवर्ड द्वारा लॉग–इन करना होगा। महाविद्यालयों के यूजर–आई.डी. एवं पासवर्ड पूर्व वर्ष की भांति ही रहेंगे। परन्तु सत्यापन अधिकारियों एवं प्रवेश अधिकारियों के पासवर्ड रीसेट कर दिये गये हैं। अतः इन्हें महाविद्यालय द्वारा पुनः नये पासवर्ड जनरेट करके दिये जायेंगे।

2. महाविद्यालय पोर्टल पर अपनी प्रोफाइल एवं बैंक का खाता क्रमांक, बैंक का नाम, आई.एफ.एस. सी. तथा खाता धारक का नाम (पास बुक में दर्ज जानकारी अनुसार) आवश्यक रूप से अपडेट करेंगे। इंटरनेट बैकिंग अंतरण के लिए उपरोक्त जानकारी सही एवं पूर्ण होना आवश्यक है।

3. महाविद्यालयों में संचालित विषय/विषय–समूह/पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित अधिकतम सीट–संख्या, प्रवेश–शुल्क इत्यादि की जानकारी अपडेट कर उन्हें लॉक कर सत्यापित किया जाना है। शासकीय महाविद्यालय (विधि महाविद्यालयों सहित) पूर्व की तरह ही अपने समस्त पाठ्यक्रमों का कोर्स सत्यापन स्वयं अपने सत्यापन अधिकारी के यूजर–आई.डी. तथा पासवर्ड से लॉग–इन करने पर कर सकेंगें। अशासकीय महाविद्यालय (अल्पसंख्यक/विधि महाविद्यालयों सहित) अपने समस्त पाठ्यक्रमों को दर्ज/अपडेट कर लॉक करेंगें तथा उनके सम्बंधित मैपिंग शासकीय महाविद्यालय से अपने समस्त पाठ्यक्रमों का अनिवार्यतः सत्यापन करवायेंगें।

4. शैक्षणिक सत्र (2014–15) से विधि पाठ्यक्रमों के लिए भी ऑन–लाईन प्रवेश प्रक्रिया लागू रहेगी, अतः सभी विधि महाविद्यालय एवं सामान्य महाविद्यालय, अपनी प्रोफाइल दर्ज/अद्यतन करते हुए उनके यहाँ संचालित विधि पाठ्यक्रमों की जानकारी आवश्यक रूप से दर्ज करेंगें।

5. पोर्टल पर पूर्व से शामिल महाविद्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों की जानकारियाँ दर्ज है। पोर्टल पर किसी अधिकारी/कर्मचारी की प्रोफाइल को जोड़ना या हटाना हो, तो उसकी कार्यवाही भी की जाना है।

6. प्रवेश अधिकारियों के मोबाइल नम्बर आवश्यक रूप से दर्ज किये जाएं।

7. अल्पसंख्यक महाविद्यालय अपने महाविद्यालय की प्रोफाईल में अल्पसंख्यक समुदाय (जैन/सिख/ईसाई/मुस्लिम/पारसी/बौद्ध/गुजराती अल्पसंख्यक भाषी) को आवश्यक रूप से दर्ज करेंगे। इसके साथ ही उन्हें संबंधित अल्पसंख्यक समुदाय के लिए न्यूनतम आरक्षित सीटों के प्रतिशत को भी आवश्यक रूप से महाविद्यालय की प्रोफाईल में दर्ज करना होगा।

8. यदि आपके महाविद्यालय का लॉग–इन पासवर्ड गुम हो गया है अथवा भूल गये हैं, तो उसे पोर्टल पर उपलब्ध Reset Password Option का उपयोग कर रीसेट कर सकते हैं। यदि कोई समस्या आती है तो अशासकीय महाविद्यालय अपने से सम्बंधित मेपिंग शासकीय महाविद्यालय को Password Reset करने का निवेदन करेंगें, जिसके आधार पर शासकीय महाविद्यालय आई.टी. सेल को Password Reset की Request भेजेंगें। आई.टी. सेल द्वारा Password Reset करके संबंधित शासकीय महाविद्यालय को भेजा जायेगा, जिसे वह संबंधित अशासकीय महाविद्यालय को उपलब्ध करवायेगा।

9. कोर्स सत्यापन संबंधी मैन्युअल विभाग वेबसाइट पर उपलब्ध है, उसका अध्ययन कर ही समस्त कार्यवाही की जावें। इस संबंध में कोई भी समस्या के समाधान के लिए Online Councelling Help line **0755-2551698, 2554763** पर सम्पर्क किया जा सकता है।

10. पाठ्यक्रम को Verify करने के पूर्व सभी प्रविष्टियों को चेक कर लें। Verification होने के पश्चात् कोई भी Correction नहीं हो सकेगा।

11. महाविद्यालय स्तर पर प्रवेश के सुचारू क्रियान्वयन की मॉनीटरिंग हेतु एक/दो अधिकारियों की टीम गठित की जावे जो कि प्रवेश कार्य पर सतत निगरानी रखें, तथा पोर्टल पर आवश्यक रिपोर्टिंग की निगरानी प्रतिदिन करें जिससे कोई भी रिपोर्टिंग पोर्टल पर दर्ज होने से न छूटे।

<u>वि.क.अ. सह आयुक्त द्वारा अनुमोदित</u>

5.5.14

(डॉ. के.एम. जैन)
संयुक्त संचालक
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृष्ठांकन क्रमांक 248 /आउशि/शाखा–5'अ'/2014, भोपाल, दिनांक 5/5/ 2014
प्रतिलिपि :

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. निज सहायक माननीय मंत्री/राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा, म.प्र.।
3. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी.,विन्ध्याचल भवन भोपाल।
4. कुलसचिव, समस्त परम्परागत विश्वविद्यालय, मध्यपदेश।
5. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यपदेश।
6. प्रभारी आई.टी. सेल, उच्च शिक्षा, की ओर, वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ।

5.5.14
संयुक्त संचालक
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

Online Ad.lettre/29 Aprail